राजस्थान बजट 2020–21 के लिए
सुझाव व मांगें

बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट

ई– 758, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, लालकोठी जयपुर (राज.)

ईमेल: barctrust@gmail.com

वेबसाइट: www.barctrust.org

परिचय:

बजट विश्लेषण व शोध केन्द्र ट्रस्ट (BARC), जयपुर द्वारा समाजिक संगठनों के साथ 10 जनवरी 2020 को विकास अध्ययन संस्थान में बजट पूर्व चर्चा की गई, ताकि राज्य सरकार के आगामी बजट 2020 के लिए लोगों व स्वयंसेवी संगठनों (CSOs) सुझावों और मांगों को जाना जा सके। इसके अन्तर्गत विभिन्न संगठनों के 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस चर्चा का उद्देश्य राजस्थान सरकार के आगामी बजट के लिए शैक्षिणक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा मिलकर मांग पत्र (Charter of Demand) तैयार करना था। इस कार्यशाला में बच्चों के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं हाशिये पर रहने वाले समूह (दलित, आदिवासी, घुमंतु (DNTs) व अल्पसंख्यकों) के पोषण संबंधी मुददों पर स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त बार्क द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं पर परामर्श और अल्पसंख्यक बच्चों के लिये शिक्षा पर चर्चा का आयोजन भी किया गया। इस मांग पत्र में इन बैठ़कों में उभरे प्रमुख मुद्दों और सुझावों का बिंदुवार विवरण दिया गया है :–

शिक्षा:

मुद्दा	सुझाव
• नवीनतम DISE रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 व 6 से 7 में ड्रॉप–आउट दर में वृद्धि हुई है। बच्चों के ड्रापआउट का एक प्रमुख कारण परिवहन साधनों की कमी भी है। 'ट्रांस्पोर्ट वाउचर' योजना भी नहीं रही।	• इस स्थिति में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए परिवहन का प्रबन्ध स्थानीय विद्यालय प्रबन्धन समितियों (SMCs) या ग्राम पंचायत/स्थानीय शहरी निकायों द्वारा किया जाना चाहिये। इस हेतु बजट SMCs को प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय भी अपनी हिस्सेदारी दे सकते है।
• शाला पूर्व शिक्षा का अभाव	• सरकार को 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रबन्ध करना चाहिए।
• ASER रिपोट के अनुसार राज्य में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 6 लाख है। उनमें से ज्यादातर बच्चे कमजोर वर्गों (दलित, आदिवासी, घुमंतु और अल्पसंख्यक) से होंगें।	• सरकार द्वारा इन बच्चों की पहचान के लिये विशेष प्रबंध किये जायें ताकि उन्हें विद्यालय में दाखिला दिलाया जा सके।
• विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा।	• राज्य सरकार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने के स्थान पर सभी शिक्षिकों को समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित करने पर विचार करना चाहिये।
• राज्य के मदरसों में शिक्षकों तथा कम्प्यूटर शिक्षकों के भारी संख्या में पद रिक्त हैं।	• सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु त्वरित कदम उठाये जाने चाहिये।

• मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता	• मदरसा शिक्षा की निगरानी के लिये अधिकारी नियुक्त किये जायें। • राज्य द्वार मदरसा बोर्ड में अकादमीक इकाई बनाई जाये।
• कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	• सरकार को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं घुमंतु बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने चाहिए, जो नवोदय विद्यालय के स्तर के हों। इन समुदायों के बच्चों को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश के लिए विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बाल सुरक्षा:

मुद्दा	सुझाव
• बच्चों में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती प्रवृति	• राज्य के सभी संभागों में संभाग स्तर पर बच्चों के लिए नशामुक्ति केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।
• बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी।	• सरकार महिला एवं सलाह सुरक्षा केन्द्र को महिला एवं बाल सलाह व सुरक्षा केन्द्र बना सकती है तथा प्रत्येक महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्र पर एक प्रशिक्षित बाल परामर्शदाता का प्रबन्ध कर सकती है। • महिला सुरक्षा व सलाह केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाये जाने चाहिये ताकि अधिकतर बच्चों को इसकी सेवा प्राप्त हो सके। • बाल संरक्षण के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए बाल संरक्षण अधिकारियों को रखने की आवश्यकता है। • बाल अधिकार निदेशालय के तहत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिये ताकि ICPS जैसे बाल संरक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

स्वास्थ्य व पोषणः

मुद्दा	सुझाव
• राज्य में अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढ़ांचे और सुविधाओं की कमी।	• स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूंजीगत बजट बढ़ाने और उसका उपयोग बढाने के लिये उचित उपाय करे।
• राज्य में कईं आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं के साथ अन्य सुविधाओं का अभाव।	• राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को सभी सुविधाओं –युक्त स्वयं के भवन उपलब्ध करवाये जायें।
• आंगनबाडी केन्द्रों को सरकारी विद्यालय के साथ जोड़ने से दूरी में वृद्वि	• सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनबाडी समुदाय से आधे किमी. से अधिक की दूरी में ना हों।
• ग्राम स्तर पर मजबूत स्वास्थ्य संस्थान	• ग्राम स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल समितियों (VHSNWC) को कार्यशील बनाना चाहिए।

वंचित वर्गः

मुद्दा	सुझाव
• समाज के वंचित वर्गों (दलित, आदिवासी, घुमंतु और अल्पसंख्यक) को साथ लिए बिना सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि बहुत कठिन है।	• राज्य सरकार को TSP और SC-SP के प्रभावी क्रियांवयन के लिए अधिनियम बनाना चाहिए। जैसा कि तेलंगाना, उत्तराखड़ और अन्य राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया है। • राज्य सरकार द्वारा प्र.म. 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी एवं मुल्यांकन हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।

कृषिः

मुद्दा	सुझाव
• राज्य में कृषि नीति का अभाव	• राजस्थान सरकार ने सन् 2011 में राज्य कृषि निति का मसौदा तैयार किया था, जिसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है इस ड्राफ्ट में कृषि नीति को उचित संशोधन के साथ अन्तिम रूप देकर लागू किया जाये।